न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 195 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
बिशनाराम दतक पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी हेमावास धन्ने का तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर		1 टीकमाराम पुत्र चेतनराम 2.मेवाराम पुत्र चेतनराम जातियान जाट निवासीयान हेमावास धन्ने का तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री विष्णु चौधरी, वादी पक्ष की तरफ से।
2. श्री केसाराम चौधरी प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से।

निर्णय

दिनांक 05/02/25

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा हेमावास पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1051 / 848 रकबा 2.4605 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1053 / 869 रकबा 3.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1095 / 869 रकबा 7.1548 हैक्टेयर भूमि आई है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसमे वादी का 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1 / 3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुले हुए है परन्तु सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद होने से पक्षकारानें के मध्य तनाव की स्थिति रहती है तथा भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 02, वादी के हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में लगातार दखलअन्दाजी कर रहे हैं तथा मौके पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में रदोबदल कर रहे हैं। भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नही होने से कब्जे को लेकर विवाद रहता है, लिहाजा मौजा हेमावास पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1051 / 848 रकबा 2.4605 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1053 / 869 रकबा 3.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1095 / 869 रकबा 7.1548 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1 / 3 हिस्सा तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा वादी का 1 / 3 हिस्सा की भूमि को बाई मिट्स उण्ड बाउण्ड पृथक करवाने का आदेश फरमावें।

उक्त वाद में प्राथमिक निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से भूमि विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व / पीडी / 2024 / 1926 दिनांक 09.12.2024 के जरिये भूमि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को उपलब्ध करवाया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 की [illegible] कि उक्त वाद के सबंध में प्रतिवादी को जानकारी नहीं थी जो सम्मन [illegible] गए थे उसको व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुए, प्राथमिक [illegible] प्रस्ताव तैयार करते समय उसको जानकारी हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.14 10:25:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 01 की आपति खारीज [illegible] की जाती है क्योंकि [illegible]करण के सबंध में प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया, [illegible] नोटिस की प्रतियां डिलीवरी रिपोर्ट सहित पेश करने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लाई गई।

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त भूमि विभाजन प्रस्ताव में वादी के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की भूमि का बंटवाड़ा भी साथ में पेश किया गया

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

उक्त भूमि विभाजन प्रस्ताव उपभय–पक्षों की उपस्थिति में तैयार किया गया है जिस पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षकर हैं।

अतः तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मौजा हेमावास पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1051/848 रकबा 2.4605 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1053/869 रकबा 3.7474 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1095/869 रकबा 7.1548 हैक्टेयर का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क्र.सं.	नाम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वंरग
1	विशनाराम दतक पुत्र मोतीराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी हेमावास धन्ने का तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर	1051/848 1053/869	2.4605 1.9317	बा.सो. बा.सो.	हरा
	योग :–	02 खसरे	4.3922	–	–
2	टीकमाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी हेमावास धन्ने का तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर	1053/869 1095/869	1.7510 2.6412	बा.सो. बा.सो.	गुलाबी
	योग :–	02 खसरे	4.3922	–	–
3	मेवाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी हेमावास धन्ने का तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर	1095/869	4.3922	बा.सो.	बैंगनी
4	टीकमाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा 1/3, मेवाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा 1/3, विशनाराम दतक पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/3 जातियान जाट निवासीयान हेमावास धन्ने का तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर	1053/869 1095/869	0.0647 0.1214	बा.सो. बा.सो.	पीला
	योग	02 खसरे	0.1861	–	–

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्षा में तरमीम करावें। सहमति भूमि विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 05/02/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.14 10:25:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर